



उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय

(राज्य सरकार का स्वायत्तशासी निकाय, विष्वविद्यालय अनुदान अधिनियम, 1956 की धारा 2(एफ) के अन्तर्गत मान्यता प्राप्त; भारतीय विश्वविद्यालय संघ (ए.आई.यू.) की सदस्यता प्राप्त)

हरिवाला, देहरादून

बैज्ञानिक : uau.ac.in

पत्रांक 1413/उ0आ0वि0/सम्बद्धता/शुल्क आदेश/2023-24

ईमेल : uauaffiliation@gmail.com,

दिनांक : 23 / 8 / 2023

कार्यालय आदेश

भारतीय चिकित्सा पद्धति राष्ट्रीय आयोग, नई दिल्ली की द्वारा जारी अधिसूचना 16 फरवरी 2022 के अनुसार BAMS पाठ्यक्रम की अवधि 05 वर्ष और 06 माह को (प्रथम व्यवसायिक 18 माह, द्वितीय व्यवसायिक 18 माह एवं तृतीय व्यवसायिक 18 माह) किये जाने के दृष्टिगत विश्वविद्यालय परिसरों (ऋषिकुल परिसर, /गुरुकुल परिसर, हरिद्वार एवं आयुर्वेद संकाय, मुख्य परिसर, देहरादून) में वर्तमान में अध्ययनरत छात्र-छात्रों बैच 2022 एवं अग्रिम बैचों का नवीन शिक्षण शुल्क का निर्धारण निम्न प्रकार किया जाता है:-

➤ बी0ए0एम0एस0, (विश्वविद्यालय के परिसर हेतु)

क्र०सं०	शुल्क विवरण	बी0ए0एम0एस0 हेतु निर्धारित शुल्क (रूपये में)		
		अट्ठारह माह (प्रथम व्यवसायिक)	अट्ठारह माह (द्वितीय व्यवसायिक)	अट्ठारह माह (तृतीय व्यवसायिक)
01	व्यवसायिक बार शिक्षण शुल्क रु0 में	72000/-	72000/-	72000/-
02	प्रवेश शुल्क (केवल प्रवेश के समय)	5,000/-	-	
03	बंधक शुल्क (कासन मनी) (केवल प्रवेश के समय) (प्रतिदेय/ Refundable)	7,000/-	-	
04	नामांकन शुल्क (केवल एक बार देय , प्रथम व्यवसायिक)	2,000/-	-	
05	परीक्षा शुल्क (प्रति व्यवसायिक)	10,000/-	10,000/-	10,000/-
06	स्मार्ट कार्ड शुल्क (केवल एक बार देय)	200/-	-	
07	विकास शुल्क	1100/-	1300/-	2300/-
08	कीड़ा शुल्क	700/-	700/-	700/-
09	छात्र कल्याण शुल्क (केवल एक बार देय)	1000/-	-	
10	एलोमनी शुल्क (केवल एक बार देय)	1000/-	-	
	कुल योग	100000/-	84000/-	85000/-
	कुल शिक्षण शुल्क			
नोट:- उपरोक्त के अतिरिक्त रु0 15000/- हॉस्टल शुल्क (उपलब्ध होने की दशा में) हॉस्टल उपलब्धता के आधार पर एवं एक कक्ष में 02 शैय्यानुसार।				

2- उक्त आदेश बैच बी0ए0एम0एस0 बैच 2022-23 के छात्र-छात्रों पर तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

3- एम0डी0/एम0एस0 (आयुर्वेद) का शुल्क पूर्व की भांति यथावत् रहेगा।

4- बी०ए०ए०स० बैच 2021 के छात्र-छात्रों द्वारा प्रथम व्यवसायिक का शुल्क उपरोक्तानुसार विश्वविद्यालय को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

5- परिसर निदेशक यह सुनिश्चित करें की परीक्षा के उपरांत आगामी कक्षाओं में प्रवेश से पूर्व छात्र-छात्रों सम्बंधित व्यवसायिक का सम्पूर्ण शुल्क जमा कर दे अन्यथा की स्थिति में छात्र-छात्रों को कक्षाओं में प्रवेश न दिया जाए।

उक्त आदेश माननीय कुलपति महोदय की अनुमति/सहमति से निर्गत किया जा रहा है।

Macch
(प्रो० अनूप कुमार गक्खड़)
प्रभारी कुलसचिव

पृष्ठांकन संख्या : तददिनांकित।

प्रतिलिपि :- निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

1. सचिव, आयुष एवं आयुष शिक्षा अनुभाग, उत्तराखण्ड शासन, देहरादून।
2. निजी सचिव, मा० कुलपति महोदय, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय, देहरादून।
3. परिसर निदेशक, आयुर्वेद संकाय, मुख्य परिसर, देहरादून, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
4. परिसर निदेशक, ऋषिकुल परिसर,(हरिद्वार), उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
5. परिसर निदेशक, गुरुकुल परिसर,(हरिद्वार), उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
6. मुख्य वित्त अधिकारी/लेखाधिकारी, उत्तराखण्ड आयुर्वेद विश्वविद्यालय।
7. गार्ड फाईल।

Macch
(प्रो० अनूप कुमार गक्खड़)
प्रभारी कुलसचिव